



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129384

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18854 वर्ष 2026

गौरव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अजय कुमार पाठक

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार पाठक और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ला को सुना गया।
2. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ला ने इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों का एक संकलन प्रस्तुत किया है, जिसमें से एक दस्तावेज यह दर्शाता है कि प्रथम सूचनादाता पर नोटिस की तामीली दिनांक 25.05.2026 को हो चुकी है।
3. आदेश लिखे जाने तक विपक्षी संख्या- 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
4. यह जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ आवेदक- गौरव, पुत्र प्रताप सिंह की ओर से थाना कोतवाली, मुरसान, जिला हाथरस से संबंधित वाद अपराध संख्या- 108 वर्ष 2025,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत धारा 64(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत दाखिल किया गया एक आवेदन है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचनादाता, विपक्षी संख्या 2 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था और आवेदक को बी.एन.एस.एस.-2023 की धारा 64, 62, 351(2), 333 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, और 18 के तहत नामजद नहीं किया गया था, यह प्राथमिकी पीड़िता की बहन द्वारा दिनांक 17.05.2025 को 19:11 बजे दर्ज कराई गई थी, जो प्राथमिकी संख्या- 0108 है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनादाता की बहन/पीड़िता की आयु 17 वर्ष है और वह आवेदक की बहन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोप के अनुसार, प्रथम सूचनादाता/बहन/पीड़िता ने दिनांक 16.05.2025 को रात 10:00 बजे प्रथम सूचनादाता को फोन पर सूचित किया था कि दिनांक 15.05.2025 को पीड़िता का भाई, प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों रामू, राहुल और धांसू के साथ घर आया था और वे पीड़िता के भाई के साथ पार्टी कर रहे थे और पीड़िता का भाई शराब पीने के बाद बेहोश हो गया और फिर शिवू तथा धांसू वापस चले गए, जिसके बाद राजेंद्र का पुत्र रामू कमरे में आया और पीड़िता की सहमति के बिना उसके साथ कुकृत्य किया और इसके बाद सत्यवीर के पुत्र राहुल ने बलात्कार करने का प्रयास किया और जब पीड़िता चिल्लाई तो दोनों वहाँ से भाग गए। आरोप इस हद तक भी है कि पीड़िता ने दिनांक 16.05.2025 को रात 9:15 बजे फोन पर प्रथम सूचनादाता को अवगत कराया था कि धांसू और राहुल, जिन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, उन्होंने प्रथम सूचनादाता और आवेदक-अभियुक्त, जो कि सगा भाई है, को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने इस घटना का खुलासा किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक वह भाई है जिसकी पहचान को लेकर कोई संदेह नहीं है क्योंकि पीड़िता अपने भाई (आवेदक) के चेहरे और कद-काठी से भली-भांति परिचित थी, हालांकि, आवेदक को केवल झूठा फंसाने के उद्देश्य से, उसका नाम धारा 161 सीआरपीसी/धारा 180 बी.एन.एस.एस. और धारा 164 सीआरपीसी/धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज बयानों में सामने लाया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फंसाने का मूल कारण यह है कि आवेदक ने प्रथम सूचनादाता के एक व्यक्ति के साथ विवाह का विरोध किया था और वह इसके लिए सहमत नहीं था, जो आवेदक को झूठा फंसाने का मकसद बना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 17.06.2025 के बयान में भी यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक पहले भी कुछ अवसरों पर अपराध कारित करता था, लेकिन अभिलेख पर इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के बयान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया गया कि पीड़िता ने यह तथ्य बताया था कि दोस्तों ने अपराध कारित किया था और पृष्ठ 57 पर ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र दर्शाता है कि जब दिनांक 22.05.2025 को परीक्षण किया गया था, तब पीड़िता की आयु 18-19 वर्ष थी। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक दिनांक 30.05.2025 से जेल में निरुद्ध है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चाहे जो भी अपराध बनते हों, यहाँ गंभीर अपराध हैं, विशेष रूप से तब जब आरोप यह है कि भाई ने सगी बहन के साथ गलत काम किया है। हालांकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और प्राथमिकी में आवेदक द्वारा अपराध कारित करने का कोई संदर्भ नहीं है, विशेष रूप से तब जब विवरण यह है कि आवेदक शराब का सेवन करने के बाद बेहोश हो गया था।

7. अदालत में प्रस्तुत तर्कों को सुनने के बाद, मामले की समग्र तथ्यात्मक स्थिति और संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचनादाता द्वारा आवेदक की सगी बहन द्वारा लगाए गए आरोपों पर दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, धारा 161 या 164 के बयानों में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि आवेदक को अभियुक्त के रूप में नामजद करने के बावजूद उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्यों नहीं था, और इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 30.05.2025 से जेल में बंद है, प्रथम दृष्टया आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक- गौरव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाद अपराध संख्या- 108 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 64(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, थाना कोतवाली मुरसान, जिला हाथरस में जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (iv) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।
- (v) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

9. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभुओं को स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा उनकी पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। आवेदक को जमानत देने में की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेगी।

11. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. आज प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के संकलन को अभिलेख पर लिया जाता है और उसे परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।